Bio Vet Innovator Magazine

Volume 2 (Issue 7) JULY 2025

OPEN ACCESS | WORLD ZOONOSES DAY – 06 JULY | POPULAR ARTICLE

पोल्ट्री फार्म के लिए संस्थागत ऋण स्रोत

डॉ. शिरिश शर्मा*, डॉ. विष्णु शंकर मीणा[1] एवेम डॉ. प्रवीण पिलानिया[2]

**सहायक आचार्य, कृषि अर्थशास्त्र, कृषि महाविद्यालय,*

एस के राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर, राजस्थान

[1,2] सहायक आचार्य, कृषि अर्थशास्त्र व पशुधन उत्पादन एवेम प्रबंधन,

कृषि महाविद्यालय, कोटपुतली, श्री करण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय,जोबनेर

***Corresponding Author:** praveenpilaniya1990@gmail.com

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.16661683

Received: July 29, 2025

Published: July 30, 2025

© All rights are reserved by **प्रवीण पिलानिया**

भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहां पर लोग खेती एवं पशुपालन करके अपना जीवन यापन करते हैं। आजकल के समय मे मुर्गी का पालन भी एक ऐसा व्यवसाय बन गया है जो व्यक्ति को एक अतिरिक्त आय का साधन प्रदान करता है। इसके साथ ही साथ मुर्गियों के कूड़े (litter) से खेतों को उपजाऊ भी बनाया जा सकता है क्योकि जितना एक गाय के गोबर से एक खेत को उपजाऊ बनाया जा सकता है उतना ही 40 मुर्गियों के बिष्ठों से एक खेत को उपजाऊ बनाया जा सकता है

राजस्थान में पोल्ट्री फार्म के लिए ऋण की योजना:

इस योजना के अंतर्गत राज्य के सभी बेरोजगार युवा कम ब्याज दर पर लोन लेकर पौल्ट्री फॉर्म खोल सकते हैं। राजस्थान राज्य का कोई भी बेरोजगार नागरिक यदि मुर्गी पालन का व्यवसाय करना चाहता हैं। तो आसानी से उसे बैंक से लोन प्राप्त हो जायेगा। जिससे वह अपना व्यवसाय खोल सकता हैं। इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता और पक्षियों की संख्या तथा उनकी देखरेख के हिसाब से बैंक से लोन प्रदान करेगी।

मुर्गी पालन लोन योजना से अंतर्गत सरकार की तरफ से पक्षियों का, उनकी देखरेख एवं रहने का मुफ्त में बीमा (Free Insurance) किया जायेगा। जिससे की इस योजना का लाभ लेने वाले नागरिकों को किसी भी प्रकार की हानि ना हो पाए। इस योजना के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन (Offline and Online) दोनों तरीकों से आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के तहत 139 रूपये से लेकर 309 रूपये के तक प्रति पक्षी की दर से 05 साल के लिए ऋण की सुविधा प्रदान की जाएगी।

राजस्थान राज्य में मुर्गी पालन लोन योजना के लिए आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको इस आधिकारिक वेबसाइट animalhusbandry.rajasthan.gov.in पर जाना होगा। जो आवेदनकर्ता मुर्गी पालन लोन योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं। उन नागरिकों को अपने नजदीकी किसी बैंक में जानकर निर्धारित आवेदन पत्र पीडीएफ प्राप्त करना होगा और उस आवेदन पत्र को भरना होगा।

आईपीपीपी-ब्रॉयलर योजना:

आईपीपीपी-ब्रॉयलर योजना के तहत, 4 बैचों में 600 ब्रॉयलर चूजे (वर्ष 4 बैचों में प्रत्येक 2-3 महीने में 150), शेड, उपकरण (फीडर, ड्रिंकर, आदि), 6 सप्ताह के लिए फ़ीड, कूड़े जैसी विविध वस्तुएं, चिकित्सा आदि, पक्षियों के पालन और राज्य सरकार के माध्यम से हाथ पकड़ने पर तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

IPPP-लो इनपुट टेक्नोलॉजी के तहत, 4 सप्ताह पुराने 400 कम इनपुट तकनीक (LIT) पक्षी (दोहरे उद्देश्य: अंडा और मांस: मुर्गी और मुर्गा का

50:50 अनुपात) डेढ़ साल के अंतराल के साथ 2 बैचों में या 18 महीने (प्रत्येक 200 के बैच), रैन बसेरा और अन्य विविध सामान जैसे फीडर, ड्रिंकर, आदि प्रदान किए जाते हैं। हाथ पकड़ने के साथ-साथ पक्षियों को पालने का तकनीकी प्रशिक्षण भी दिया जाता है। इच्छुक किसान/व्यक्ति कार्यक्रम की अधिक जानकारी के लिए प्रखंड विकास अधिकारी/प्रखंड पशुपालन अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।

नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डवलपमेंट:

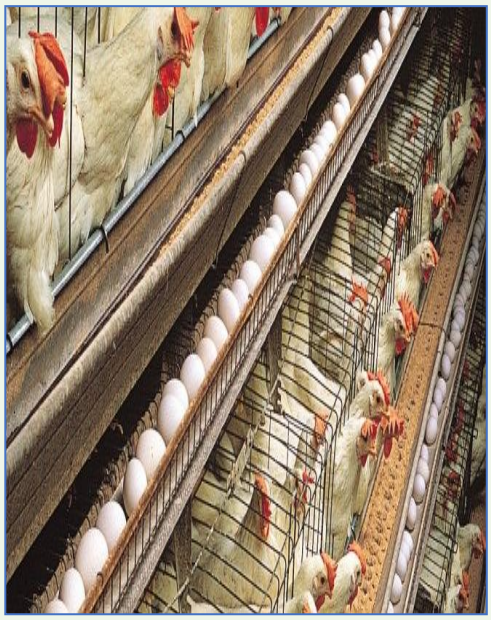

नाबार्ड द्वारा तैयार मॉडल परियोजनाओं के मुताबिक, यदि आप पोल्ट्री ब्रोइलर मुर्गा फार्मिंग करना चाहते हैं और कम से कम 10 हजार मुर्गियों के साथ व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, तो आपको 4-5 लाख रुपए की व्यवस्था करनी होगी, जबकि आप से बैंक ऋण 75% यानी 27 लाख रुपये तक प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप 10 हजार मुर्गियों के साथ कुक्कुट लेयर फार्मिंग यानी अंडा व्यवसाय करना चाहते हैं, तो आपको 10 से 12 लाख रुपये की व्यवस्था करनी होगी और बैंक आपको 40 से 42 लाख रुपये तक ऋण दे सकता है। नाबार्ड कंसल्टेंसी सेवा की मदद से बैंक में आसान NABARD Murgi Palan Poultry Farm 2021 ऋण प्रक्रिया के लिए भी की जा सकती है।

एसबीआई-बैंक से पोल्ट्री फार्मिंग बिज़नेस लोन:

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, आपको अपनी कुल लागत का 75% तक मुर्गी पालन (पोल्ट्री फार्मिंग) तक ऋण मिलेगा। 5000 मुर्गियों पर 3 लाख तक ऋण का प्रावधान है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा दिए गए मुर्गी पालन के लिए ऋण अधिकतम 9 लाख रुपये तक होगा।

सुरक्षा के मद्देनज़र, बैंक आपको पूरी परियोजना योजना यानी आप जिस उपकरण को खरीदने जा रहे हैं और जिस भूमि पर आप मुर्गी पालन यानी पोल्ट्री फार्म का व्यवसाय करने जा रहे हैं, का पूरा विवरण पूछेंगे। भारतीय स्टेट बैंक ने 5 साल के लिए ऋण के भुगतान की अवधि तय कर दी है। यदि आप 5 साल में ऋण का भुगतान नहीं कर सकते हैं, तो बैंक आपको 6 महीने और भी दे सकता है।

बैंक ऑफ इंडिया-बीओआई से पोल्ट्री फार्मिंग बिज़नेस लोन:

यह ऋण बैंक ऑफ इंडिया में लगभग हर किसी के लिए उपलब्ध है। एक नया पोल्ट्री फार्म स्थापित करना चाहते हैं या जो आपके मुर्गी फार्म का विस्तार करना चाहता है। अकेले व्यवसाय करने हेतु, साझेदारी फर्म के लिए या सीमित कंपनी के लिए इस पोल्ट्री ऋण का लाभ उठाया जा सकता है। बैंक ऑफ इंडिया भी आपकी परियोजना की काल्पनिक परियोजना, लीज समझौते, और आपके मशीनरी उपकरण को सुरक्षा या गारंटी के रूप में रखेगा। पोल्ट्री ऋण पर ब्याज दरें समय-समय पर बैंक द्वारा निर्धारित की जाएंगी। ऋण चुकाने का समय 6 से 7 साल में दिया जाता है। आप बैंक ऋण का भुगतान करने के लिए मासिक किस्त प्रारूप चुन सकते हैं।

Citation: डॉ. शिरिश शर्मा,डॉ. विष्णु शंकर मीणा,डॉ. प्रवीण पिलानिया. (2025). पोल्ट्री फार्म के लिए संस्थागत ऋण स्रोत. In Bio Vet Innovator Magazine (Vol. 2, Issue 7, pp. 50-51). Bio Vet Innovator Magazine. https://doi.org/10.5281/zenodo.16661683